Downloaded from SkillCouncils.com

गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/ट्रस्ट/ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत सृजित स्वयं सहायता समूहहेतु अनिवार्य योग्यता/पात्रता:-

क्र०	पात्रता माप दण्ड	दस्तावेजी प्रमाण
1	गैर सरकारी संस्था (सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860)/कम्पनीज एक्ट 2013/इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत सृजित स्वयं सहायता समूह।	1. निबन्धित/पंजीकृत होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र जमा करें। 2. स्वयं सहायता समूह को कलस्टर लेबल फेडरेशन (CLF) में निबन्धित/पंजीकृत होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र।

A. गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/ट्रस्ट हेतु अनिवार्य योग्यता/पात्रता मानदंड :-

क्र०	पात्रता माप दण्ड	दस्तावेजी प्रमाण
1	GST पंजीकरण सर्टिफिकेट वैध पंजीकरण और अद्यतन Form-3B होना चाहिए (2024 की अद्यतन December 2024 तक भरा हुआ)/12A प्रमाण-पत्र होना चाहिए।	वैध प्रमाण पत्र की प्रति जमा करनी होगी। (गैर सरकारी संस्थाओं जिनके पास GST पंजीकृत नहीं हैं वे सूचीबद्ध होने के एक माह के अन्दर पंजीकृत करना सूनिश्चित करेंगें)
2	IT Return विगत 3 वर्षों 2021-22, 2022- 23 एवं 2023-24 का जमा करना होगा।	ITR की प्रति समर्पित करना अनिवार्य है।
3	विगत 3 वर्षों 2021-22, 2022- 23 एवं 2023-24 में न्यूनतम औसत Turnover 10 लाख होना चाहिए।	अधिकृत Chartered Accountant का समेकित प्रमाण पत्र UDIN के साथ समर्पित करना अनिवार्य है।
4	झारखण्ड राज्य में विभिन्न योजनाओ का संचालन में कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव (झारखण्ड राज्य में आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल इत्यादि में या छात्रावास का संचालन का कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।)	स्व-सत्यापित सरकारी कार्यादेश, MOU एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।
5	1. गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/ट्रस्ट को केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार के गबन का मामला अथवा काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए। 2. गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/ट्रस्ट के विरूद्ध न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में अभियोजन साबित नहीं होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग के पास कोई मुकदमा दर्ज/लंबित नहीं होना चाहिए।	उक्त आशय की घोषणा गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
6	विगत 3 (तीन) वर्षों का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य है।	वित्तीय वर्ष-2021-22, 2022- 23 एवं 2023-24 का अद्यतन अंकेक्षण प्रमाण प्रतिवेदन UDIN के साथ होना अनिवार्य है।
7	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/ट्रस्ट में उपलब्ध मानव बल का विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है।	उपलब्ध मानव बल से संबंधित शपथ-पत्र (Notary)

B. ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत सृजित स्वयं सहायता समूह हेतु अनिवार्य योग्यता/पात्रता मानदंड :-

क्र०	पात्रता माप दण्ड	दस्तावेजी प्रमाण
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत सृजित स्वयं सहायता समूह।	Jharkhand State Livelihood Promotion Society, Ranchi (JSLPS) के तहत सृजित होने एवं कलस्टर लेबल फेडरेशन (CLF) में निबन्धित/पंजीकृत होने का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
2	स्वयं सहायता समूह जिस कलस्टर लेबल फेडरेशन (CLF) में पंजीकृत हो उस CLF का विगत 3 (तीन) वर्षों का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य है।	वित्तीय वर्ष-2021-22, 2022- 23 एवं 2023-24 का अद्यतन अंकेक्षण प्रमाण प्रतिवेदन UDIN के साथ होना अनिवार्य है।

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com

Downloaded from SkillCouncils.com

छात्रावास संचालन योजना के तकनीकी मूल्यांकन हेतु अंक मार्गदर्शिका:-

तकनीकी मूल्यांकन – 50 अंक

Part- A- NRLM के तहत सृजित स्वयं सहायता समूह के लिए (तकनीकी मूल्यांकन – 50 अंक)

क्र0	प्रक्रिया	अधिकतम अंक
1.	स्वयं सहायता समूह का अस्तित्व (3 साल तक 2 अंक उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक)	10
2.	स्वयं सहायता समूह के द्वारा कार्य करने का अनुभव (प्रत्येक परियोजना के लिए– 5 अंक) कंडिका के अन्तर्गत कार्य करने का अनुभव	30
3.	स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत उपलब्ध मानव बल से संबंधित शपथ–पत्र	10
	कुल–	50

Part- B गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/ट्रस्ट के लिए (तकनीकी मूल्यांकन – 50 अंक)

क्र0	प्रक्रिया	अधिकतम अंक
1.	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/ट्रस्ट का विगत 3 वर्षों 2021-22, 2022- 23 एवं 2023-24 में न्यूनतम औसत Turnover 10 लाख होने पर 02 अंक एवं प्रत्येक 1 लाख अधिक होने पर 02 अंक।	10
2.	सरकारी विभागों के साथ काम करने का अनुभव (प्रत्येक परियोजना के लिए– 2 अंक) (केवल पूर्ण हो चुके सरकारी कार्यादेशों पर विचार किया जाएगा)	10
3.	झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सरकारी कार्यादेशों के तहत् आवासीय कौशल विकास, आवासीय विद्यालय, आवासीय (IPD) अस्पताल, शिक्षा एवं छात्रावास संचालन के परियोजनाओं में न्यूनतम 3 वर्षों से जारी अथवा पूर्ण कार्य का अनुभव (प्रत्येक परियोजना के लिए–2.5 अंक)	05
4.	**FSSAI** (Food Safety and Standards Authority of India) रजिस्ट्रेशन होने का प्रमाण–पत्र	05
5.	उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिले में सरकारी कार्यादेशों के अन्तर्गत काम करने का अनुभव	05
6.	पूर्व में किये गए कार्य में छात्रावास में छात्र बल 200 से से अधिक होने पर	05
7.	झारखण्ड राज्य में कार्यानुभव	05
8.	उपलब्ध मानव संसाधन	05
	कुल–	50

तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्रस्तुतीकरण– 50 अंक – (For Part-A & Part B both)

प्रस्तुतीकरण अंक मार्गदर्शिका:-

छात्रावास संचालन के योजना के प्रस्तुतीकरण –(प्रस्तुतीकरण की प्रति संलग्न करे)

क्र0	प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन	अधिकतम अंक
1.	छात्रावास प्रबंधन कार्ययोजना	30
2.	झारखण्ड राज्य में कार्यानुभव	10
3.	उपलब्ध मानव संसाधन	10
	कुल–	50

For Consultation, please call at 9630030343 or visit at www.SkillCouncils.com